

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
फाईल नं. 17/3/U.K/2017-ESDW
सुनवाई तिथि 10.09.2018 का कार्यवृत्त

श्री बी.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, श्री दिलबर सिंह, सब-इंस्पेक्टर, कण्डारी, श्री सुरेश पाल, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

07.09.2018 को जिलाधिकारी की रिपोर्ट में सूचित किया गया कि श्रीमती हिरदेश देवी के भाई को जारी किए गए अनुसूचित जाति प्रमाण को जाँच उपरांत निरस्त किया जा चुका है व निर्णय लिए जाने हेतु स्कूटनी कमिटी को सूचना दे दी गई है।

स्कूटनी कमिटी की बैठक 14.09.2018 को निर्धारित है। अतः स्कूटनी कमिटी के निर्णय से आयोग को एक महीने में सूचित किया जाए। यदि जाति प्रमाण निरस्त किया जाता है तो तदानुसार FIR में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की बढोतरी भी कदाचित की जानी उचित होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार तदानुसार कार्रवाई करेंगे।

एक महीने बाद रिपोर्ट सहित पुनः प्रस्तुत। रिपोर्ट के बाद अगली तिथि तय की जाएगी।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग